कॉरपोरेट ई-सी बैंकिंग के लिए प्राधिकार का मानक पत्र

(फर्मकेआधिकारिकपत्र-शीर्षपरप्रस्तुतकियाजाएगा)

हमएतदद्वारासूचितकरतेहैंकिहमउपर्युक्तफर्ममेंपार्टनरहैंऔरउसके दायित्वोंके लिए संयुक्तऔरविभिन्नरूपमेंजिम्मेदारहैं।पार्टनरशिपमेंकिसीभीतरहकाबदलावहोनेपर (बैंकद्वारासंज्ञाननहींलिएजानेतकसूचनाप्रभावीनहींहोगी) हमआपकोलिखितरूपमेंअधिसूचितकरेंगेऔरऐसीकिसीसूचनाकीप्राप्तिकीतिथितकआपकीबहीमेंदर्जफर्मकेनामसेयदिकोईदायित्वबकायारहताहैतोसभीवर्तमानपार्टनरआपकेप्रतितबतकजवाबदेहहोंगेजबतककिऐसेदायित्वोंकापरिसमापननहींकरलियाजाताहै।

इण्डियनओवरसीज़बैंककीविभिन्नशाखा(ओं) मेंखुलेखातों /खोले जाने वाले खातोंकेलिए ……………………कॉरपोरेटई-सीसेवाकालाभलेनाचाहताहैऔरइसउद्देश्यकेलिएबैंकद्वारातयकिएगएनियम, विनियमों, शर्तों, अनुबंधोंकोस्वीकारकरताहै।
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को आवेदन फॉर्म में या साइट पर उपलब्ध नियम व शर्तों पर हमारी ओर से स्वीकृति की सूचना प्रदान करने और वर्णित निमयों व शर्तों में समय – समय पर होने वाले ऐसे बदलावों और आशोधनों के लिए जैसे नामांकन करने, अदला-बदली, अधिदेश वापस लेने या बदलने इत्यादि के लिए जैसा भी इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा सुझाव दिया जाएगा। हामी भरने के लिए और ऐसे विलेखों, दस्तावेज़ों और अन्य लिखितों को जो भी इस उद्देश्य के लिए आवश्यक या अपेक्षित होंगे उन्हें कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखितव्यक्ति(यों) / अधिकारी/ अधिकारियों को, जिनके नाम हैं,

श्री…………………..

श्री………………….. एवं

श्री………………….. एतद्द्वारा विभिन्न रूप से प्राधिकृत करते हैं।

ऊपरवर्णितनियमवशर्तोंजैसीहैंउन्हेंउसीप्रकारऔरएतद्द्वारास्वीकृतिदीजातीहैऔरस्वीकारकियाजाताहैऔरप्राधिकृतव्यक्तियों / अधिकारियों को एतदद्वारा विभिन्न रूप में ऐसे आशोधनों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा सुझाए जाएंगे।

आगे, उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्ति(यों) / अधिकारी (यों) जिनके नाम हैं,
श्री…………………………..
श्री………………………….. और

श्री...........................एवं / या ऊपर वर्णित प्राधिकृत अधिकारी(यों)/ व्यक्ति(यों) द्वारा नामित किन्हीं अधिकारियों को भी विभिन्न रूप से प्राधिकृत किया जाता है कि वे हमारी ओर से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ मौजूद हमारे खाते (खातों) में नामे शेष समेत कॉरपोरेट ई-सी बैंकिंग के जरिए परिचालन कर सकते हैं और / या अतिदेय होने पर भी खातों में निरंतर परिचालन कर सकते हैं, जैसी अभिगम शर्तें कॉरपोरेट ई-सी बैंकिंग के निमय व शर्तों में प्राधिकृत की गई होंगी।

आगे, उपर्युक्त किसी भी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हमारे खाते/ खातों के संबंध में, कॉरपोरेट ई-सी बैकिंग सेवा के जरिए दिए जाने वाले सभी वैध एवं विधिक अनुदेशों को स्वीकार करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। प्रदत्त व्यवस्था में हमारे उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदेशों के कार्यान्वियन के संबंध में हम इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को क्षति रहित रखने और उनके हित को सुरक्षित रखने के लिए रजामंद हैं। हम एक ....(न्यासी / एचयूएफ / सोसायटी इत्यादि) * होने के नाते ....(पंजीयन प्राधिकारी का नाम) के साथ पंजीकृत हैं जिसकी पंजीयन संख्या ....है और * इस प्राधिकार पत्र को जारी करने वाले को हमारे ....(शासी मंडल का नाम) संकल्प दिनांकित .... द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

सभी पार्टनरों के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)